जिला बेसिक शिक्षा अधिकरी,
गोरखपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,

आर॰ सी॰ आइडियल पब्लिक स्कूल
मल्हनपार, क्षेत्र - उरुवा
गोरखपुर

पत्रांक / 1574-80/मा/2007–08 दिनांक : 06/06/07

विषय :– प्राथमिक विद्यालय, की नवीन अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर की अस्थाई मान्यता शासनादेश सं0–230/15–6–96–18 एस–(7) दिनांक 18.1.96 एवं शासनादेश संख्या–1873(1)/15–6–96–18 एस0 (7)/89 दिनांक 10.09.98 के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र 2007–08 से प्रदान की जाती है:–

1. परिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये।
2. अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नहीं है। अर्ह अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन, अनुमति प्राप्त कर चालू सत्र में करा लिया जाये।
3. अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाये।
4. बिना पूर्व अनुमति के कोई भी कक्षा उपवर्ग बंद व समाप्त स्थानान्तरित न किये जाये।
5. विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क लिया जायेगा तथा उसका लेखा–जोखा रखा जायेगा।
6. इस कार्यालय के अनुमति के बिना किसी अर्ह प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी।
7. विभागीय नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन तथा अनियमित कार्यों की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
8. स्थायी मान्यता प्राप्त करने हेतु पांच वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हुये आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. नियमानुसार पांच वर्ग मान्य होंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर 07.5.07

पृ0सं0 / /2007–08 दिनांक :

प्रतिलिपि – निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/ विकलांग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
2. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र.............................., गोरखपुर।
4. नगर शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।

MANAGER
R. C. IDEAL PUBLIC SCHOOL
MALHANPAR, GORAKHPUR

PRINCIPAL
R. C. IDEAL PUBLIC SCHOOL
MALHANPAR, GORAKHPUR

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गोरखपुर

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला– गोरखपुर, उ0प्र0)

संख्यांक / निरीक्षण / 2385 / 2013–14 तारीख 29/08/2013

प्रबन्धक,

आर0सी0 आइडियल पब्लिक स्कूल मान्यता कोड FM/07/2013

माल्हनपार, उरूवा, गोरखपुर

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 16.10.2012 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राजात / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै **आर0सी0 आइडियल पब्लिक स्कूल**, माल्हनपार, उरूवा, गोरखपुर को तारीख 01.07.2013 से तारीख 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए उच्च **प्राथमिक विद्यालय (बालक / बालिका) (जू0हा0 स्कूल स्तर की 3 कक्षायें)** के लिए हिन्दी माध्यम की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा मे) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4– पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2)के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालकया उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

PRINCIPAL
R.C.IDEAL PUBLIC SCHOOL
MALHANPAR,GORAKHPUR

MANAGER
R.C.IDEAL PUBLIC SCHOOL
MALHANPAR,GORAKHPUR